गरीबों की आवाज आनी चाहिये । इसलिये आपके ऊपर रोब डालना तो मैं बेइज्जती समझता हू अपनी भी और इस सदन की भी। अगर हजारों आदमी और औरतें इस तरह से उजाड़ी जाए

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, क्या सारी तकरीर मुझे सुननी पड़ेगी ।

श्री बागड़ी : मैं तो केवल . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर बोलते चले जाते है तो बन्द कर दिया जाए लिखना ।

श्री बागड़ी : **

अध्यक्ष महोदय : आपने कह लिया है, अब आप बैठेंगे या नहीं । अगर मैंने आपकी बेइज्जती की है, तो मैं आप से माफी चाहता हूं । लेकिन अब आप बैठ जाइये ।

श्री बागड़ी : एक दिन मैंने एक शब्द कहा था कि यह मुगल दरबार नहीं है, लोक सभा है, यहां जनता की आवाज . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप रुकावट डाल रहे हैं कार्रवाई में ।

श्री बागड़ी : अगर गरीबों की बात कहना रुकावट डालना है, तो रुकावट ही सही ।

श्री ब्र० प्र० शर्मा : बाहर निकाला जाए ।

श्री बागड़ी : लोक सभा के अन्दर गरीबों की बात कही जाएगी । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा । जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी दफा कहने के बावजूद भी बागड़ी साहब ने मेरी बात नहीं मानी है और यह दावा करना चाहते हैं . . .

श्री मौर्य : बैठ तो गए है । आपका कहा मान तो लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहे नहीं बैठे है । मौर्य साहब के कहने पर बैठे है । आप वहां गए थे ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : आपकी आज्ञा से बैठे हैं ।

एक माननीय सदस्य : वे नहीं गए थे ।

अध्यक्ष महोदय : अगर गरीबों की आवाज और उनका दुख कहने के लिए बागड़ी साहब के दिल में दर्द है तो और भी बहुत से मैम्बर है जिनके दिल में बराबर का दुख और दर्द है ।

श्री ब्र० प्र० शर्मा : उनसे ज्यादा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर सारा हाउस इस तरह से गरीबों की बात कहने के लिए खड़ा हो जाए तो कैसे काम चल सकता है । एक ही आदमी दुख दर्द लेकर यह कहे कि मैं जरूर उसे कहना चाहता हूं तो यह तो कोई कायदा नहीं है । हर एक आदमी जिस चीज को महसूस करे और खड़ा हो जाए और बोलना बोलता चला जाए तब तक जब तक कि उसकी तसल्ली न हो जाए और बन्द ही नहो तो कैसे काम चल सकता है । अगर पांच सौ के पांच सौ मम्बर हाउस के इस तरह से उठते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गरीबों की आवाज . . .

श्री रामेश्वरानन्द : अब तो बट गए हैं ।

12.13 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER DEFENCE OF INDIA RULES AND ESSENTIAL COMMODITIES ACT

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): I beg to lay on the Table—

(1) a copy each of the following Notifications issued under

** Not recorded.

[Shri Sanjiva Reddy]

rule 125 of the Defence of India Rules, 1962:—

(i) The Scarce Industrial Materials (Control) Order, 1965, published in Notifiaction No. S.O. 2912 in Gazette of India dated the 14th September, 1965.

(ii) The Scarce Industrial Materials (Control) Second Amendment Order, 1965, published in Notification No. S.O. 2920 in Gazette of India dated the 18th September, 1965.

(iii) The Scarce Industrial Materials (Control) Amendment Order, 1965, published in Notification No. S.O. 2921 in Gazette of India dated the 18th September, 1965.

(iv) The Scarce Industrial Materials (Control) (Third Amendment) Order, 1965 published in Notification No. S.O. 3328 in Gazette of India dated the 18th October, 1965.

[*Placed in Library. See* No. LT-5239/65].

(2) a copy of Notification No. S.O. 2911 published in Gazette of India dated the 14th September, 1965, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, rescinding the Non-Ferrous Metals Control Order, 1958, published in Notification No. S.O. 446 dated the 2nd April, 1958. [*Placed in Library, see* No. LT-5240/65]

GOVERNMENT'. DECISIONS ON REPORT OF STUDY TEAM ON DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

The Minister of Supply and Technical Development in the Ministry of Industry and Supply (Shri Raghuramaiah): I beg to lay on the Table a copy of Government Resolution No. 21(8)/65/V dated the 8th November, 1965, publishing Government's decisions on certain recommendations contained in the Report of the Study Team on the Directorate General of Technical Development (Part I). [*Placed in Library. See* No. LT-5241/65].

REPORT OF TARIFF COMMISSION ON CONTINUANCE OF PROTECTION TO AUTOMOBILE SPARKING PLUG INDUSTRY ETC.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951:—

(1) (i) Report (1965) of the Tariff Commission on the continuance of protection to the Automobiles Sparking Plug Industry.

(ii) Government Resolution No. 8(1)-Tar/65 dated the 18th November, 1965.

(iii) Statement explaining the reasons why a copy each of the documents at (i) and (ii) above could not be laid on the Table within the period prescribed in the said sub-section.

[*Placed in Library. See* No. LT-5242/65].

(2) (i) Report (1965) of the Tariff Commission on the continuance of protection to the Power and Distribution Transformer Industry.

(ii) Government Resolution No. 5(2)-Tar/65 dated the 19th November, 1965.

(iii) Statement explaining the reasons why a copy each of the documents at (i) and (ii) above could not be laid on the Table within the period prescribed in the said sub-section.

[*Placed in Library. See* No. LT-5243/65].